# फर्द अहकाम

राज0 सरकार बनाम बजरंग लाल वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 18/2025

| क्रं0सं0 | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 29.08.2025 | पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर द्वारा पत्रांक 1513 दिनांक 19.08.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि राजस्व ग्राम गान्सरखानी तहसील जोबनेर के आराजी खसरा नंबर 1987/1064 रकबा 0.1164 हे0 सम्पूर्ण भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की जा चुकी है।<br>बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा अपनी आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया है। प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के कारण अमल में लायी गयी थी। परन्तु प्रतिवादी द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा कर विवादीत आराजीयात का संपरिवर्तन करा लिया गया। इसलिए प्रकरण को खारिज फरमाया जावें।<br>बहस अधिवक्ता प्रतिवादी पर मनन किया गया। पत्रावली, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल जोबनेर के पत्रांक 1513 दिनांक 19.08.2025 का अवलोकन किया गया। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1987/1064 रकबा 0.1164 हे0 सम्पूर्ण भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अधीन कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान की जा चुकी है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही अमल में लाने का कारण कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करना ही था। चुकि अब उक्त भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है तो उक्त कार्यवाही औचित्यहीन हो चुकी है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत शर्त भंग के कारण सिवायचक घोषित करने व बेदखली करने हेतु खारिज किया जाता हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जोबनेर (जयपुर) | |